अपील संख्या - 91/23

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-9-25	**गोरूराम बनाम सहीराम** अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभय पक्ष को प्राथमिक आपत्ति पर सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29–10–2007 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश के प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही था तथा उसने यह अपील बिना पक्षकार के तथा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही किये बिना ही अपील पेश की है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29–10–2007 के विरूद्ध अपील दिनांक 13–04–2023 को लगभग 15 वर्ष 6 माह पश्चात् पेश की हैं जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र में जो तथ्य पेश किये है वो आधारहीन है। अतः प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपील निरस्त फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरड 1993 पेज 44, आरआरडी 1993 पेज 233, आरआरटी 2012(1) पेज 374, आरआरटी 2020(1) पेज 204, आरआरडी 2012 पेज 641, आरएलडब्ल्यु 2005(2) पेज 105, आरएलडब्ल्यु 2005(2) पेज 543, आरआरटी 2010(2) पेज 801, आरआरटी 2021(1) पेज 262 प्रस्तुत किये। अभिभाषक अपीलांट/अप्रार्थी ने प्राथमिक आपत्ति के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आराजी अपीलांट/अप्रार्थी की भूमि के चिपते ही है तथा उक्त रकबा पर अपीलांट की वरियता बनती थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/अप्रार्थी को बिना कोई नोटिस दिये बिना अपीलांट/अप्रार्थी को सूनवाई का अवसर दिये एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट/अप्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही थी। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 28–02–2023 को हुई। उसके बाद अपीलांट/अप्रार्थी ने बिना किसी देरी किय अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट/अप्रार्थी ने आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा सहबन से अगर धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है तो भी उसके हित समाप्त नही होते है और उसका फायदा रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को नही किया जा सकता है। अपीलांट/अप्रार्थी एक हितबद्ध पक्षकार है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति को खारिज किया जाकर अपीलांट द्वारा मियांद प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की प्राथमिक आपत्ति निम्नाकिंत बिन्दूओं पर पेश की गई–

1. अपीलांट तृतीय पक्षकार है। जिसने अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध बिना अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही किये हुए अपील हाजा प्रस्तुत की है।
2. अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है।

प्रथम बिन्दू के संबंध में प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलांट द्वारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। परन्तु प्रकरण स्मॉलपेच भूमि आवंटन से संबंधित है। स्मॉलपेच भूमि आवंटन में समस्त चिपते काश्तकार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होते है चाहे उन्हे पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया हो अथवा नही। इस स्थिति में यह प्राथमिक आपत्ति खारिज की जाती है।

जहॉ तक मियाद का प्रश्न है प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–10–2007 को पारित किया गया। जिसकी अपील दिनांक 13–04–2023 को दायर की गई। अपील पेश करने की निर्धारित अवधि 30 दिवस की है जबकि हस्तगत अपील लगभग 15 वर्ष 6 माह पश्चात पेश की गई है। स्पष्ट है कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब कंडोन करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। न्यायालय को यह विचारण करना है कि क्या विलम्ब की अवधि अत्यधिक है अथवा नही? क्या अपीलांट द्वारा विलम्ब हेतु दर्शित कारण 'पर्याप्त कारण' है जिससे की न्यायालय का यह समाधान हो कि विलम्ब हेतु उत्तरदायी परिस्थितियॉ ऐसी थी, जो कि अपीलांट के नियंत्रण से बाहर हो।

इस हेतु मियाद अधिनियम के प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा। मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार **(1) Subject to the provisions contained in sections 4 to 24 (inclusive), every suit instituted, .**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

appeal preferred, and application made after the prescribed period <u>shall be dismissed</u>, although limitation has not been set up as a defence.

मियाद अधिनियम की धारा 5 के अनुसार–

"Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), may be admitted after the prescribed period, if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. "

उपर्युक्त प्रावधानो के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 3 मियाद अधिनियम के अनुसार न्यायालय मियाद से बाहर प्रस्तुत अपील को खारिज करेगा। वही धारा 5 यह प्रावधित किया गया है कि यदि अपील में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा यदि संतोषप्रद कारण बताया जाता है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। संतोषप्रद कारण क्या है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1955 पेज संख्या 252 में यह अवधारित किया गया है कि

"We have heard the learned counsel appearing for the parties and have gone through the recoed as well. It is ture that an appellate court is to exercise its own discretion while dealing with the question as to whether a " sifficient cause" for the delay under section 5 of the Indian Limitation Act exisits or not. But it is a general principle of law that discreationary power must be exercised on judicial principles and not" in any arbitrary vague or fanciful manner." The term " Sufficient cause" has not been defined anywhere in the Indian Limitation Acts, but it has been held that it must mean a cause which is beyond the control of the party invoking the aid of the section. Necessarily it follows that a case for delay which by due care and attention could have been avoided cannot constitute a sufficient cause."

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील लगभग **15 वर्ष 6 माह के पश्चात्** प्रस्तुत की गई है। विलम्ब की यह अवधि अत्यधिक है। अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दर्शित कारणो से इन 15 वर्ष 6 माह के विलम्ब के संबंध में कोई संतोषप्रद समाधान इस न्यायालय को नही होता है।

अपीलांट द्वारा स्वयं अपने जवाब प्राथमिक आपत्ति में यह स्वीकार किया है कि उसे दिनांक 28–02–2023 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हो गई थी। यदि इस तथ्य को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सही माने तो भी अपीलांट द्वारा इस तिथि के 44 दिवस बाद हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। मियाद अधिनियम के प्रावधान औपचारिकता मात्र नही है। डेट ऑफ नॉलेज (दिनांक 28–02–2023) के पश्चात् हुए विलम्ब के प्रत्येक दिवस हेतु कारण दर्शित करना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब की इस अवधि के संबंध में ऐसा कोई पर्याप्त कारण दर्शित नही है जिससे न्यायालय को यह समाधान हो कि विलम्ब की परिस्थितियॉ इस प्रकार की थी जो कि अपीलांट के नियंत्रण से बाहर हो। इस स्थिति में अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। मियाद के बिन्दू पर प्रकरण खारिज योग्य होने के कारण गुणावगुण पर निर्णय नही किया जा सकता है। यह प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट बाबत प्राथमिक आपत्ति आंशिक स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलांट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर